फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

उत्कर्ष वगै0 बनाम कालूराम वगै0

मुकदमा नं0 :— 64 / 2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.05.2024	पत्रावली न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद रजिस्टर्ड तलवी अनुपस्थित रहे है। जिनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार ने अपने पत्रांकः आर.टी./2024/464 दिनांक 15.05.2024 द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 0.5100 है0 ग्राम जारूण्डा, पटवार हल्का रायपुर, तहसील आंधी की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम जारूण्डा, पटवार हल्का रायपुर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 0.5100 है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	